अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अध्यक्षता में दिनांक– 28 अगस्त 2019 को 3 बजे आहुत कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

पत्रांक–अ0आ0उ0यो0 / कार्यवृत्त / 2019–20 / 588 दिनांकः– 05.09.2019.

बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि।
3. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
4. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

अन्य प्रतिभागियों का विवरण–

1. प्रशासनिक अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. वित्त प्रबंधक 1 व 2, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
4. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी।

उक्त बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्नानुसार है:

1. कार्यकारिणी समिति की दिनांक 14 अगस्त 2019 को आहुत बैठक के जारी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. कार्यकारिणी समिति की पूर्व में आहुत बैठकों के जारी कार्यवृत्तों पर अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत संचालित समस्त प्रकोष्ठों से Action Taken Report प्राप्त कर आगामी कार्य–समिति की बैठक में रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

   (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

3. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर, जनपद नैनीताल को निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के संबंध में जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0 / 2019–20 / 503 दिनांक 22 अगस्त 2019 के कम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)**

4. बैंक द्वारा रिजैक्ट किये गए 731 क्लेम्स के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही पर विचार करते हुए दिनांक 31 अगस्त 2019 तक पत्रावली पर प्रस्तुत करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये।साथ ही प्रत्येक सप्ताह की रिपोर्ट भी उपलब्ध करवायी जाये। **(कार्यवाही– निदेशक, वित्त)**

5. चिकित्सालयों में क्लेम्स के 1168 केसेस queries में होने के कारण लंबित हैं। इनके शीघ्र निस्तारण पर विचार करते हुए चिकित्सालयों को अंतिम नोटिस देते हुए 07 दिन के उपरांत क्लेम रिजैक्ट करने का निर्णय लिया गया। उससे पूर्व उक्त 1168 केसेस का query के विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गए।

(कार्यवाही– State Anti-Fraud Unit)

6. कियान्वयन सहायता एजेंसी (ISA) द्वारा लगभग 3000 क्लेम्स रिजैक्ट किये गए हैं, उनके विश्लेषण/ऑडिट हेतु किये जाने वाली कार्यवाही पर विचार करते हुए कियान्वयन सहायता एजेंसी से चिकित्सालयवार विवरण उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। तदोपरांत उक्त रिजैक्टेड क्लेमों का विश्लेषण/ऑडिट किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त उक्त 3000 रिजैक्टेड क्लेमों में से उन क्लेमों को कियान्वयन सहायता एजेंसी के स्तर से revoke करने का निर्णय लिया गया जो क्लेम्स लाभार्थी के डिस्चार्ज होने के उपरांत 30 दिनों के भीतर फाइल न किये जाने के कारण रिजैक्ट किये गए हैं। ऐसे क्लेमों के दस्तावेजों का पुनः अध्ययन करते हुए इन क्लेमों को अप्रूव/रिजैक्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– Claim Review Commitee एवं कियान्वयन सहायता एजेंसी)

7. 08 निजी चिकित्सालय जिनके क्लेम्स on hold हैं, पर लिए गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार हैं–

i. **रामरती नेत्र चिकित्सालय, देहरादून** के कुल 41 क्लेम लंबित हैं। जिनमें से 13 क्लेम्स को छोड़कर शेष 28 लंबित क्लेमों का नियमानुसार भुगतान करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई। साथ ही भुगतान हेतु संस्तुति की गई 28 क्लेमों का क्लेम ऑडिट एवं बेनिफिशियरी ऑडिट नियमानुसार पृथक से करने की संस्तुति भी की गई।

ii. **लाइफ लाइन हॉस्पिटल एण्ड यूरोलोजी इन्स्टीट्यूट, देहरादून** के कुल 07 क्लेम लंबित हैं। जिनका नियमानुसार भुगतान करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई। साथ ही उन 07 लंबित क्लेमों का क्लेम ऑडिट एवं बेनिफिशियरी ऑडिट नियमानुसार पृथक से करने की संस्तुति भी की गई।

iii. **श्री राम आई केयर एण्ड नर्सिंग होम, रुद्रपुर** के कुल 51 क्लेम लंबित हैं। जिनका नियमानुसार भुगतान करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई। साथ ही उन 51 लंबित क्लेमों का क्लेम ऑडिट एवं बेनिफिशियरी ऑडिट नियमानुसार पृथक से करने की संस्तुति भी की गई।

iv. **कोटद्वार आई हॉस्पिटल एण्ड हैल्थ केयर, कोटद्वार** के कुल 31 क्लेम लंबित हैं। जिनका नियमानुसार भुगतान करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई। साथ ही उन 31 लंबित क्लेमों का क्लेम ऑडिट एवं बेनिफिशियरी ऑडिट नियमानुसार पृथक से करने की संस्तुति भी की गई।

v. **जीवन ज्योति क्लीनिक, देहरादून** के कुल 06 क्लेम लंबित हैं। जिनका नियमानुसार भुगतान करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई। साथ ही उन 06 लंबित क्लेमों

का क्लेम ऑडिट एवं बेनिफिशियरी ऑडिट नियमानुसार पृथक से करने की संस्तुति भी की गई।

vi. आनन्द नेत्रालय, देहरादून के कुल 06 क्लेम लंबित हैं। जिनका नियमानुसार भुगतान करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई। साथ ही उन 06 लंबित क्लेमों का क्लेम ऑडिट एवं बेनिफिशियरी ऑडिट नियमानुसार पृथक से करने की संस्तुति भी की गई।

तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)**

8. नैफ्रो केयर की 03 इकाईयों को किये गए भुगतान का परीक्षण करके अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर विचार किया गया। संबंधित इकाईयों को empanel करने व de-empanel करने की समयावधि तथा किये गए क्लेम भुगतान का विवरण आदि से संबंधित पत्रावली 10 कार्यदिवसों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए।

(कार्यवाही– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक,अ0आ0उ0यो0)

9. नेशनल पोर्टेबिलिटि में Non-SECC लाभार्थियों को चयनित specialities अनुमन्य करने पर विचार करते हुए निम्न category अनुमन्य करने हेतु पत्रावली पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए:

i. Cardiac care
ii. Cardio thoracic/Vascular Surgery (CTVS)
iii. Burns Management / Plastic and Reconstructive
iv. Neuro Surgery
v. Oncology
vi. Paediatric surgery
vii. Poly trauma

(कार्यवाही– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक,अ0आ0उ0यो0)

10. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) में विधि–सलाहकार की व्यवस्था किये जाने पर विचार करते हुए Retainership में विधि–सलाहकार की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अ0आ0उ0यो0)

11. Cataract Surgery को राजकीय चिकित्सालयों के लिए आरक्षित किये जाने के निर्णय के कियान्वयन की स्थिति के संबंध में पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक / आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक,अ0आ0उ0यो0)

12. जिन निजी चिकित्सालयों के अनुबंध अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक,अ0आ0उ0यो0)

13. जिन चिकित्सालयों की सूचीबद्धता समाप्त की गई हैं उनके सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने पर विचार करते हुए निम्न 03 चिकित्सालय, जिनको योजना से डी–इम्पैनल कर दिया गया है, की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है:

i. जीवन ज्योति हॉस्पिटल, हरिद्वार।
ii. विनोद ऑर्थो क्लीनिक, देहरादून।
iii. देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

14. व्याधि–निधि के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 14 सितम्बर 2018 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर विचार किया गया। जिस संबंध में पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। **(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)**

15. जिन चिकित्सालयों को de-empanel कर दिया गया है उनके क्लेम्स को adjust किये जाने आदि के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही पर विचार करते हुए पत्रावली 10 कार्यदिवसों के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक,अ0आ0उ0यो0)

16. National Anti-Fraud Unit (NAFU) के लंबित केसेस के संबंध में निदेशक–मेडिकल क्वालिटी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में National Anti-Fraud Unit (NAFU) के कोई भी केस लंबित नहीं हैं। **(कार्यवाही– निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी)**

17. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) से अग्रिम किश्त प्राप्त करने हेतु राज्यांश के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– निदेशक, वित्त)

18. भुगतान किये गए क्लेम्स के सम्बन्ध में Bank Reconciliation की कार्यवाही दिनांक 31 अगस्त 2019 तक करने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही– निदेशक, वित्त)**

19. चिकित्सालयों द्वारा लगभग 9000 क्लेम्स को फाइल किया जाना लंबित है, इन्हें शीघ्र फाइल कराये जाने हेतु की अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी)

20. कियान्वयन सहायता एजेंसी (ISA) को दिये गये Show cause notices पर प्राप्त उत्तरों के पश्चात अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

21. कियान्वयन सहायता एजेंसी (ISA) के कार्यों हेतु नियमित review and monitoring system बनाए जाने पर विचार करते हुए नियमित review and monitoring system बनाते हुए पत्रावली पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही कियान्वयन सहायता एजेंसी (ISA) के कार्यों का review करते हुए साप्ताहिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाने हेतु भी निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक,अ0आ0उ0यो0)**

22. नेशनल पोर्टेबिलिटि के केसेस, जिनमें Non-SECC लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक,अ0आ0उ0यो0)

23. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के लंबित references के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अ0आ0उ0यो0/निदेशक–प्रशासन)**

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

पत्रांक–अ0आ0उ0यो0/कार्यवृत्त/2019–20/ तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपिः

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के सादर संज्ञानार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. महानिदेशक, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. निदेशक, वित्त, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
7. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
8. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना को उक्त कार्यवृत्त वेबसाईट में अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।

03.09.19.

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

अनुमोदित।

(दिलीप कुमार कोटिया)
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना